भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3395

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीमावर्ती क्षेत्रों में निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण

3395. डॉ. आनंद कुमार गोंडः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-नेपाल सीमा से सटे बहराइच सहित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हाल ही में चलाए गए एक अभियान के दौरान नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर अस्सी से अधिक अपंजीकृत नर्सिंग होम, अस्पतालों और पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को सील कर दिया गया था और कई अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों, पहचान किए गए अपंजीकृत स्वास्थ्य संस्थानों, जारी किए गए नोटिसों, सील किए गए संस्थाओं और उनके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए पंजीकरण और निरीक्षण तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नियामक तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं, इसलिए आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने, उन्हें बनाए रखने और स्थापित करने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 7 अस्पतालों का पंजीकरण रद्द (डीरजिस्टर) किया गया, 8 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई, 11 अस्पताल सील किए गए और 97 अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 7 प्रयोगशालाओं/नैदानिक केंद्रों (डायग्नोस्टिक सेंटरों) को सील किया गया तथा 24 प्रयोगशालाओं/नैदानिक केंद्रों को नोटिस जारी किए गए।

(घ): उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चिकित्सा संस्थानों का पंजीकरण जनहित स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आवेदनों पर संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी निर्धारित नियामक ढांचे के अनुसार पंजीकरण की स्वीकृति से पहले आवश्यकतानुसार सत्यापन/निरीक्षण करते हैं। यह ऑनलाइन व्यवस्था आवेदनों के व्यवस्थित प्रसंस्करण और निगरानी को भी सुगम बनाती है।

(ङ): राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा संस्थानों में पंजीकरण, विनियमन, गुणवत्ता आश्वासन की निगरानी और रोगी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नैदानिक स्थापन अधिनियम/नियमों तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित न्यूनतम मानकों से संबंधित उपयुक्त प्रावधानों सहित नियामक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा रही है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत योजनाओं की कार्यान्वयन प्रगति और प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा बैठकों और कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) के माध्यम से किए जाने वाले क्षेत्रीय दौरों के जरिए निगरानी की जाती है। साथ ही, स्वास्थ्य सूचकांकों और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और नमूना पंजीकरण प्रणाली जैसे आवधिक मूल्यांकनों का उपयोग किया जाता है।
